रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29102020-222824
CG-DL-E-29102020-222824

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 558] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 29, 2020/कार्तिक 7, 1942
No. 558] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 29, 2020/KARTIKA 7, 1942

सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अक्तूबर, 2020

सा.का.नि.682(अ).—केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए प्रारूप नियम भारत सरकार के सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्याक सा.का.नि. 177 (अ) तारीख 16 मार्च, 2020 द्वारा भारत के राजपत्र असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) के अधीन यथा अपेक्षित प्रकाशित किये गये थे जिसमे उन सभी व्यक्तियो से जिनके प्रभावित होने की सम्भावना थी, उस तारीख से, जिसमें उक्त अधिसूचना अन्तर्विष्ट राजपत्र की प्रतिया जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, तीस दिनों की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आंमत्रित किए गए थे।

और अधिसूचना अन्तर्विष्ट राजपत्र की प्रतिया 16 मार्च, 2020 को जनता की उपलब्ध करा दी थी।

और उक्त प्रारूप नियमो के संबंध मे जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावो पर केन्द्रीय सरकार द्वारा समयक् रूप से विचार कर लिया गया है।

अत: अब, केन्द्रीय सरकार, मोटरयान अधिनियम 1988 (1988का 59) की धारा 42 द्वारा प्रदत्त शास्तियो का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय मोटरयान नियम 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :-

1. (1) संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ – (1) इन नियमो का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटरयान (सत्रहवाँ संशोधन) नियम 2020 है।

(2) ये राजपत्र मे उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगे ।

2. केन्द्रीय मोटर यान नियम 1989 (जिसे इसमे इसके पश्चात् उक्त नियम कहां गया है) नियम 76 के उपनियम (8) में "तथापि, वे एक समान फॉन्ट और रंग मे (अर्थात् काले रंग की पृष्ठभूमि पर सफेद रंग संख्याए और अक्षर) लेकिन उनके वाहनो के अधिकतम दो पर पंजीकरण संख्या छोटे अक्षरों में सीसी (मानद) के बाद देश के नाम शब्दों का उपयोग कर सकते है" निम्नलिखित शब्दों और कोष्ठकों का लोप किया जाएगा ।

3. उक्त नियम के नियम 76क में खंड (क) और (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंडो को रखा जाएगा, अर्थात :-

"(क) उपनियम (6) में "सीडी" अक्षर के स्थान पर संयुक्त राष्ट्र संघ और उसकी एजेन्सियों की दशा में "यूएन" अक्षरों और अंतर्राष्ट्रीय संघ और अन्य एजेन्सियों की दशा में "आई ओ डी" अक्षर रखे जाएंगे; और

(ख) उपनियम (7) में, "सीसी" अक्षरों के स्थान पर संयुक्त राष्ट्र संघ और उसकी एजेन्सियों की दशा में "यूएन" अक्षरों और अंतर्राष्ट्रीय संघ और अन्य एजेन्सियों की दशा में "आई ओ सी" अक्षर रखे जाएंगे ।

[फा. सं. आरटी-11028/04/2019-एमवीएल]

प्रियांक भारती, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम अधिसूचना संख्याक सा.का.नि. 590(अ) तारीख 20 जून, 1989 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किए गये थे और अधिसूचना संख्याक सा.का.नि. 673 (अ) तारीख 27 अक्तूबर 2020 द्वारा अन्तिम रूप से संशोधित किए गए थे ।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th October, 2020

G.S.R. 682(E). –Whereas, the draft rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, was published as required under sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988(59 of 1988) vide notification of the Government of India in the Ministry of Road transport and Highways number G.S.R. 177 (E) dated the 16th March, 2020, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within a period of thirty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas, copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public on the 16th march, 2020;

And whereas, objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been duly considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 42 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely:-

1. (1) Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (Seventeenth Amendment) Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2**.** In the Central Motor Vehicles Rules, 1989, (hereinafter referred to as the said rules), in rule 76, in sub-rule (8), the following words and brackets "They may, however, use the word "name of the country followed by CC (Honorary)" in the same font and colour (i.e., the numbers and letters in white colour on black background) but in letters smaller than the registration number on a maximum of two of their vehicles." shall be omitted.

3. In the said rules, in rule 76A, for the clauses (a) and (b) the following clauses shall be substituted, namely:-

"(a) in sub-rule (6), for the letters "CD", the letters "UN" in case of United Nations Organizations and its agencies and the letters "IOD" in case of International Organization and other agencies shall be substituted; and

(b) in sub-rule (7), for the letters "CC", the letters "UN" shall be substituted in case of United Nations Organization and its agencies and the letters "IOC" in case of International Organization and other agencies shall be substituted".

[F.No. RT-11028/04/2019-MVL]

PRIYANK BHARTI, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and lastly amended *vide* notification number G.S.R. 673 (E),dated 27th October, 2020.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. KUMER CHAND MEENA